विश्व मामलों की भारतीय परिषद

वर्ष 2011-2012

के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2012 को बैलेंस शीट की स्थिति	3
31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	15

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. <u>प्रारंभिक शेष</u>			I. <u>व्यय</u>		
(क) नकद रोकड़	-	-	(क) स्थापना व्यय		
			वेतन भविष्य निधि इत्यादि	1,19,43,172	1,14,72,814
(ख)बैंक में जमाराशि			बोनस	1,20,890	1,30,676
<u>चालू खाता</u>			ग्रेच्युटी व्यय	16,91,490	3,84,102
भारतीय स्टेट बैंक	1,67,97,147	57,70,117	परिषद अभिदाय पेंशन निधि	1,87,727	1,96,383
			कर्मचारी कल्याण व्यय	14,434	12,178
(ग) अन्य			प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभार-आरपीएफसी	12,986	16,046
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,48,845	19,35,370
प्रेषक के पास डाक टिकटें	581	3,029	कर्मचारी समूह बीमा	40,000	29,032
II. अनुदान			(ख) प्रशासनिक व्यय		
एमईए से अनुदान - सामान्य	5,42,83,000	7,00,00,000	विज्ञापन व्यय	1,86,960	1,63,834
एमईए से अनुदान - आडोटोरियम का नवीकरण	5,72,00,000	-	लेखापरीक्षा फीस	1,80,136	1,48,276
एमईए से अनुदान - सीएससीएपी बैठकें	18,68,452	3,76,496	बैंक प्रभार	31,421	5,918
एमईए से अनुदान - सेमिनार	36,43,400	-	प्रकाशन लागत	15,45,659	10,03,600
आईसीएसएसआर से अनुदान - अनुसंधान	2,75,720	1,96,280	सीएससीएपी सामान्य व्यय	7,169	1,919
			विद्युत और जल प्रभार	30,65,467	31,58,986
III. <u>आय</u>			कार्यालय बीमा व्यय	23,326	20,736
पुस्तकालय सदस्यता	2,00,750	11,79,600	बैठक एवं सेमिनार व्यय	66,31,774	91,53,377
विविध आय	60,116	73,161	एनडीएमसी सम्पत्ति कर	65,580	1,36,260
रायल्टी प्रकाशनों आदि से आय	1,98,879	1,75,775	कार्यालय व्यय	4,37,596	4,99,688
प्रकाशन की बिक्री	683	498	डाक एवं तार	11,654	7,449
			प्रोफेशनल प्रभार	95,45,321	62,99,584
IV. <u>अन्य प्राप्तियां</u>			प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	5,31,700	5,06,437
प्रतिभूति जमा - पुस्तकालय	19,600	42,000	मरम्मत एवं अनुरक्षण	22,73,121	22,45,740
अन्य अग्रिम प्राप्तियां	41,771	1,60,851	सुरक्षा व्यय	7,17,266	4,99,828
रद्द चेक	40,950	-	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	7,57,854	5,71,724
			यात्रा एवं वाहन	20,80,529	14,60,354
			ब्याज अदायगी - ईपीएफ ट्रस्ट	1,67,659	96,797
			समाचारपत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,06,982	2,19,055
			अंशदान एवं सदस्यता व्यय	34,310	2,98,026
			प्रशिक्षण प्रभार	-	32,405
कुल अग्रनीत	13,46,36,049	7,79,82,807	कुल अग्रनीत	4,27,61,028	4,07,06,594

ह./-
लेखाकार

ह./-
ए.डी. वित्त

ह./-
निदेशक

ह./-
कार्यकारी महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	13,46,36,049	7,79,82,807	कुल अग्रनीत	4,27,61,028	4,07,06,594
			II. <u>नियत आस्तियों के लिए भुगतान</u>		
			कंप्यूटर/ उपसाधन	14,25,946	13,78,749
			विद्युत प्रतिष्ठान	85,910	2,68,252
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	8,05,893	20,23,689
			पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	33,32,903	34,52,602
			पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	25,98,539	20,17,383
			कार्यालय उपस्कर	8,82,270	18,83,925
			भवन	4,32,463	14,21,396
			तिपहिया रिक्शॉ	-	7,000
			चल रहा पूंजी संकर्म (भवन)	-	1,30,154
			चल रहा पूंजी संकर्म (ऑडीटोरियम)	6,40,982	-
			चल रहा पूंजी संकर्म (विद्युत इंस्टालेशन)	50,515	-
			चल रहा पूंजी संकर्म (एसी)	9,59,510	-
			III <u>प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय</u>		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	14,000	5,300
			IV. <u>अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)</u>		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	6,36,27,793	49,39,459
			प्रतिभूति जमा - एनडीएमसी	35,350	-
			प्रतिभूति जमा - वोडाफोन	-	2,000
			सीएससीएपी अनुदान का उपयोग	14,01,649	5,31,066
			आईसीएसएसआर अनुदान का उपयोग	1,58,403	1,82,204
			अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय	5,00,000	2,00,000
			अन्य अग्रिम	11,16,742	20,28,806
			कर्मचारियों को त्योहार का अग्रिम भुगतान	-	1,500
			V. इतिशेष		
			(क) नकद रोकड़	-	-
			<u>(ख) बैंक में जमाराशि</u>		
			<u>चालू खाता</u>		
			भारतीय स्टेट बैंक	1,37,98,309	1,67,97,147
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	2,844	581
कुल	13,46,36,049	7,79,82,807	कुल	13,46,36,049	7,79,82,807

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 18/05/2012

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	निदेशक	कार्यकारी महानिदेशक

(2)

(3)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैलेंस शीट

(राशि रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि और दायित्व			
संग्रह/पूंजी निधि	1	96,55,423	85,98,639
उद्दिष्ट/पूर्त निधियां	2	21,31,347	-
आस्थगित आय	3	6,00,45,259	5,14,75,885
चालू दायित्व और प्रावधान	4	7,29,90,359	2,38,43,524
कुल		**14,48,22,388**	**8,39,18,048**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	6,13,12,348	5,28,17,479
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	8,35,10,040	3,11,00,569
कुल		**14,48,22,388**	**8,39,18,048**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18/05/2012

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**कार्यकारी महानिदेशक**

(3)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4बी देखिए)		4,61,34,077	4,22,63,265
सदस्यता फीस	7	7,90,036	9,96,156
स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय	8	2,21,660	1,95,047
अन्य आय	9	86,35,166	69,64,536
कुल (क)		**5,57,80,939**	**5,04,19,004**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	1,34,16,989	1,53,54,192
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	3,06,55,929	2,57,08,857
अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय		5,00,000	2,00,000
प्रकाशनों की लागत		15,61,159	10,02,600
अवक्षयण (देखिए अनुसूची 5)		85,10,812	69,29,655
संपत्ति के निपटान पर हानि		79,266	3,350
कुल (ख)		**5,47,24,155**	**4,91,98,654**
वह अतिशेष जो अधिशेष/कम है (क–ख)		**10,56,784**	**12,20,350**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18/05/2012

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	निदेशक	कार्यकारी महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31मार्च, 2012 को यथा विद्यमान बैलेंस शीट का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजी निधि:	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		85,98,639		73,78,289
जोड़िए: संग्रह/पूंजी निधि में अभिदाय	-		-	
जोड़िए: आय और व्यय लेख से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	10,56,784	10,56,784	12,20,350	12,20,350
वर्ष के अंत में अतिशेष		96,55,423		85,98,639

अनुसूची 2- उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियां			कुल	
	आईसीएसएसआर से अनुदान	एमईए - परियोजना से अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	(2,169)	(7,01,413)	(7,03,582)	(7,67,782)
ख) निधियों में परिवर्धन:				
अनुदान/संदान/प्रतिदाय	2,75,720	55,11,852	57,87,572	5,72,776
निधियों के मद्दे किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय				
i. पूंजी व्यय	-	-	-	-
- नियत आस्तियां				
- अन्य				
ii. राजस्व व्यय				-
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	1,43,371	-	1,43,371	1,78,420
- किराया	-	-		
- अन्य - यात्रा और अन्य व्यय	26,912	27,82,360	28,09,272	3,30,156
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय		-	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	1,03,268	20,28,079	21,31,347	(7,03,582)
अनुसूची–ख को अंतरित विकलन अतिशेष	-	-	-	(7,03,582)
	1,03,268	20,28,079	21,31,347	-

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	5,14,75,885	3,44,91,687
जोड़िए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (शुद्ध)	1,71,32,544	2,38,39,828
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	85,63,170	68,55,630
कुल	6,00,45,259	5,14,75,885

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	निदेशक	कार्यकारी महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31मार्च, 2012 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4- चालू दायित्व और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू दायित्व				
1) विविध लेनदार		51,45,771		24,76,327
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		24,916		6,14,202
3) कानूनी दायित्व				
क) अतिदेय	1,63,754		1,63,754	
ख) अन्य	4,04,992	5,68,746	2,92,875	4,56,629
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	7,46,115		7,40,515	
ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	20,28,748		1,10,12,369	
ग) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान (ऑडोटोरियम का नवीनीकरण)	5,72,00,000		-	
घ) संदेय वेतन और भत्ते	7,62,042		8,58,691	
ङ) अन्य दायित्व	5,27,172	6,12,64,077	8,34,228	1,34,45,803
कुल (क)		**6,70,03,510**		**1,69,92,961**
ख. प्रावधान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		59,86,849		68,50,563
कुल (क)		**59,86,849**		**68,50,563**
कुल (क+ख)		7,29,90,359		2,38,43,524

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	1,10,12,369	71,15,462
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	5,42,83,000	7,00,00,000
	6,52,95,369	7,71,15,462
घटाइए: केंद्रीय सरकार से अनुदान के रूप में आय और व्यय लेखे में अन्तरित	4,61,34,077	4,22,63,265
	1,91,61,292	3,48,52,197
घटाइए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय को अन्तरित)	1,71,32,544	2,38,39,828
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें पूंजी खाते पर अग्रिम सम्मिलित है।	20,28,748	1,10,12,369
कुल	**20,28,748**	**1,10,12,369**

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**कार्यकारी महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - नियत आस्तियां

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				विवरण				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
स्वयं की निधियों से अर्जित नियत आस्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	16,04,273	63,063	-	16,67,336	11,98,194	12,61,257
2. फर्नीचर, फिक्स्चर्स	11,56,195	-	-	11,56,195	10,90,890	9,798	-	11,00,688	55,507	65,305
3. कार्यालय उपस्कर	51,097	-	-	51,097	48,293	421	-	48,714	2,383	2,804
4. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	38,967	-	-	38,967	26,739	1,223	-	27,962	11,005	12,228
उप - योग (क)	41,11,789	-	-	41,11,789	27,70,195	74,505	-	28,44,700	12,67,089	13,41,594
केंद्रीय सरकार के अनुदान से अर्जित नियत आस्तियां										
1. भवन	1,27,09,083	30,82,613	-	1,57,91,696	7,76,944	6,84,485	-	14,61,429	1,43,30,267	1,19,32,139
2. फर्नीचर, फिक्स्चर्स	1,69,95,391	15,01,575	-	1,84,96,966	79,08,271	15,07,508	-	94,15,779	90,81,187	90,87,120
3. कार्यालय उपस्कर	84,50,965	9,51,148	1,99,122	92,02,991	29,30,955	8,85,324	1,40,077	36,76,202	55,26,789	55,20,010
4. कंप्यूटर / उपसाधन	73,04,022	33,63,122	4,10,556	1,02,56,588	48,75,631	10,90,786	3,42,738	56,23,679	46,32,909	24,28,391
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	1,11,27,143	21,29,807	-	1,32,56,950	40,87,515	8,41,879	-	49,29,394	83,27,556	70,39,628
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,06,22,790	23,65,450	-	1,29,88,240	31,99,530	22,66,892	-	54,66,422	75,21,818	74,23,260
7. विद्युत इंस्टालेशंस	1,09,65,879	19,28,707	-	1,28,94,586	44,00,019	11,35,976	-	55,35,995	73,58,591	65,65,860
8. साइकिल एवं रिक्शॉ	11,000	-	-	11,000	3,242	1,163	-	4,405	6,595	7,758
9. जलप्रदाय प्रणालियां	4,54,044	97,172	-	5,51,216	56,751	22,294	-	79,045	4,72,171	3,97,293
उप-योग (ख)	7,86,40,317	1,54,19,594	6,09,678	9,34,50,233	2,82,38,858	84,36,307	4,82,815	3,61,92,350	5,72,57,883	5,04,01,459
चालू वर्ष का योग (क+ख)	8,27,52,106	1,54,19,594	6,09,678	9,75,62,022	3,10,09,053	85,10,812	4,82,815	3,90,37,050	5,85,24,972	5,17,43,053
पिछला वर्ष	5,17,66,009	3,09,98,541	12,444	8,27,52,106	2,40,86,108	69,29,655	6,710	3,10,09,053	5,17,43,053	-
चल रहा पूंजी संकर्म									27,87,376	10,74,426
कुल									6,13,12,348	-

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	निदेशक	कार्यकारी महानिदेशक

8

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू आस्तियां:				
1 विविध देनदार		-		-
2 पास में नकद अतिशेष (चेकों/ड्राफ्टों और अग्रदाय सहित)		7,844		5,581
3 बैंक में जमाराशि				
अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खातों में (भारतीय स्टेट बैंक)		1,37,98,309		1,67,97,147
- निक्षेप खातों में		-		-
कुल (क)		1,38,06,153		1,68,02,728
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां				
1 नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम और अन्य राशियां:				
क) पूंजी लेखा के संबंध में – केंद्रीय लोक भवनविभाग		6,38,64,484		68,30,935
ख) पूंजी लेखा के संबंध में – एनआईसीएसआई		-		19,08,800
ग) पूर्व-भुगतान		10,68,077		2,01,857
घ) ईएसआईसी द्वारा वसूली गई रकम		35,72,707		35,72,707
ङ) निर्धारित निधि के खाते में		-		7,03,582
च) वसूल होने योग्य आय कर (टीडीएस)		40,872		18,774
छ) अन्य		11,57,747		10,61,186
कुल (ख)		6,97,03,887		1,42,97,841
कुल (क + ख)		8,35,10,040		3,11,00,569

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	निदेशक	कार्यकारी महानिदेशक

8

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7		सदस्यता फीस		
		पुस्तकालय सदस्यता	7,90,036	9,96,156
		कुल	7,90,036	9,96,156

			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 8		स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय		
		स्वामित्व	2,20,977	1,94,549
		प्रकाशन से आय	683	498
		कुल	2,21,660	1,95,047

			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 9		अन्य आय		
	क)	आस्थगित आय से अन्तरित (देखिए अनुसूची 3)	85,63,170	68,55,630
	ख)	विविध आय	71,996	84,906
	ग)	पूर्व अवधि की आय – वेतन वसूलियां	-	24,000
		कुल	86,35,166	69,64,536

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	ए.डी. वित्त	निदेशक	कार्यकारी महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

		चालूवर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 10	स्थापना व्यय		
क)	वेतन और मजदूरियां	1,12,67,207	1,11,51,535
ख)	बोनस	1,20,890	1,30,676
ग)	कर्मचारी भविष्य और पेंशन निधि का अभिदाय	8,38,426	8,02,178
घ)	कर्मचारी कल्याण व्यय	14,434	25,356
ङ)	प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	12,827	15,868
च)	कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अपलिखत फायदों और सेवांत फायदे (अपदान) के लिए	8,27,776	13,34,484
छ)	चिकित्सा प्रभार और वसूलियों का शुद्ध	3,00,913	18,71,579
ज)	कर्मचारी समूह बीमा	34,516	22,516
	कुल	**1,34,16,989**	**1,53,54,192**

		चालूवर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11	अन्य प्रशासनिक व्यय		
क)	लेखा फीस	1,80,136	1,48,276
ख)	सीएससीएपी- सामान्य व्यय	7,169	1,919
ग)	विज्ञापन व्यय	1,86,960	1,63,834
घ)	विद्युत एवं जल	27,53,700	31,83,599
ङ)	संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं पर व्यय	78,25,377	86,59,839
च)	कार्यालय बीमा	20,736	20,736
छ)	ब्याज संदत्त - ईपीएफ ट्रस्ट	1,67,659	96,797
ज)	एनडीएमसी सम्पत्ति कर	65,580	70,680
झ)	कार्यालय व्यय	4,25,351	4,19,151
ञ)	डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	7,17,179	5,42,973
ट)	मुद्रण और लेखन सामग्री	4,81,474	4,63,873
ठ)	वृत्तिक और अन्य मानवशक्ति किराया प्रभार	97,52,672	61,84,398
ड)	मरम्मत और अनुरक्षण	33,75,302	22,93,808
ढ)	सुरक्षा व्यय	7,20,472	4,82,522
ण)	यात्रा और वाहन व्यय	34,25,322	18,24,740
त)	अन्य व्यय	31,421	38,323
थ)	समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	1,14,134	2,14,056
द)	अंशदान और सदस्यता फीस	41,299	2,98,026
ध)	वसूलनीय अपलिखित	-	1,16,733
न)	पूर्व अवधि के व्यय	3,63,986	4,84,574
	कुल	**3,06,55,929**	**2,57,08,857**

ह./- ह./- ह./- ह./-

लेखाकार **ए.डी. वित्त** **निदेशक** **कार्यकारी महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 12 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. <u>लेखाकरण अभिसमय</u>

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. <u>नियत आस्तियां और अवक्षयण</u>

2.1 नियत आस्तियों का कथन अर्जन की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

निर्माण	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और जर्नल	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
वैद्युत प्रतिष्ठान	5%
दुपहिया साइकिलें	15%
जल प्रदाय प्रणाली	5%

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**कार्यकारी महानिदेशक**

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

3. राजस्व मान्यता

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षणीय आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति फायदे

भविष्य निधि में नियोजक और नियोक्ता के अभिदाय को एक पृथक न्यास में अंतरित किया जाता है

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर संदेय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 18/05/2012

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**कार्यकारी महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण

1. **आकस्मिक दायित्व:**

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचले न्यायालय ने आईसीडब्ल्यूए कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। इस निमित्त आईसीडब्ल्यू ने 2.00 लाख रुपए का दायित्व उपलब्ध नहीं कराया है क्योंकि आईसीडब्ल्यूए ने निचले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा किए हैं जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीबल्यूए के विरुद्ध यदि किस अन्य न्यायिक मामलों में दायित्व हो: उच्च न्यायालय मामलों में दायित्व: मात्रा सुनिश्चित नहीं है।

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिमों से निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद को, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद.एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**कार्यकारी महानिदेशक**

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जैसे अनुदान की प्राप्ति तथा उसका विशिष्ट मंजूरियों हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष/कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।
5. जहां कही आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।
6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।
7. चूंकि भविष्य निधि में नियोजक और कर्मचारियों के अभिदाय को एक पृथक न्यास, अर्थात विश्व मामलों की भारतीय परिषद कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को अंतरित किया जाता है, इसलिए न्यास के खाते इन लेखों के भाग नहीं हैं।
8. तत्कालीन प्रबंधन के मात्रात्मक ब्यौरों नियत आस्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियां दर्शित करने वाला नियत आस्ति रजिस्टर सहित पूर्ण विशिष्टियां दर्शित करनेवाला नियत आस्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।
9. वर्तमान प्रबंधन पट्टा किराए के मद्दे किसी दायित्व, यदि कोई है, की जानकारी नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या भूमि की लागत, यदि कोई है, तो भवन की लागत में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। भूमि की लागत के भवन की लागत में सम्मिलित होने की दशा में, भूमि की लागत पर भी अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, जो साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के प्रतिकूल है
10. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा वसूल की गई 35,72,707 रुपए की रकम को वसूलनीय के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि परिषद की यह राय है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध परिषद को लागू नहीं हैं।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18/05/2012

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**कार्यकारी महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखाओं पर भारत के महालेखानियंत्रक और परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमारे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा (2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन विश्व मामलों की भारतीय परिषद को 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और संदाय लेखा की उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणियां विश्व मामलों की भारतीय परिषद का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटन संनियमों आदि पर लेखा व्यवहार के संबंध में टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (प्रोप्राइटरी और विनियामक) तथा दक्षता बनाम निष्पादन पहलुओं के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा संप्रेक्षण, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथकत: रिपोर्ट किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस तरह से बनाएं और लेखापरीक्षा इस तरह से करें कि हमें यह पता चल सके कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त है। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर जांच करना, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के समर्थन में सबूत एकत्रित करना और प्रबंधन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii) हमारी रिपोर्ट में व्यवहार किया गया तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियां और संदाय लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित प्ररूप में प्रदर्शित किया गया है।

iii) हमारी राय में विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने अधिनियम 2003 की धारा 20(1) द्वारा यथाअपेक्षित लेखां बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे हैं जैसाकि ऐसी लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि:

(क) सहायता अनुदान

परिषद मुख्यत: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहायता अनुदान से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2011-12 के दौरान 110.12 लाख रुपए का अव्ययित अतिशेष था और परिषद को 542.83 लाख रुपए (गैर-योजना) का अनुदान प्राप्त हुआ था जिससे कुल योग 652.95 लाख रुपए हो गया। तथापि, परिषद ने 633.46 लाख रुपए का व्यय किया था जिससे 19.49 लाख रुपए का अव्ययित अवषेश रह गया। इसके अतिरिक्त परिषद को विदेश मंत्रालय की सी.एस.सी.ए.पी परियोजना के लिए 55.12 लाख रुपए ऑडिटोरिअम के नवीनिकारण के लिए 572 लाख रुपए और आई.सी.एस.एस.आर परियोजना के लिये 2.76 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। तथापि अभी भी 20.28 लाख रुपए की रकम विदेश मंत्रालय से और 1.03 लाख रुपए आई.सी.एस.एस.आर से शोध्य है। परिषद ने विभिन्न स्रोतों से भी (अनुसूची 7,8,9) 10.84 लाख रुपए प्राप्त किए हैं।

ख. प्रबंध पत्र

उन त्रुटियों को जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उपचारक शोधक कार्रवाई के लिए प्रबंधन द्वारा जारी पृथक पत्र के माध्यम से परिषद की जानकारी में लाया गया है।

5. पूर्वगामी पैराओं में हमारे संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा व्यवहार किया गया तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और संदाय लेखा बहियों के अनुसार हैं।

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित और उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण विषयों के अधीन रहते हुए तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 में वर्णित अन्य मामलों के अधीन रहते हुए उक्त वित्तीय विवरणियां भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट एक सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है:

(क) जहां तक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के कार्यों से यह तुलन पत्र संबंध रखता है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह./-

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

17

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 28/08/2012

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध-1

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:**

- विदेश मंत्रालय ने परिषद की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित नहीं की थी।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:**

नियंत्रण व्यवस्था:

- कार्मिकों के कर्तव्यों का कोई पृथक्करण नहीं है क्योंकि जो कार्मिक बीजक तैयार कर रहे हैं, वही कार्मिक नकद का संवितरण कर रहे थे।
- निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए कोई प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।

3. **सामग्रियों की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

- पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4. **शोध्यों के संदाय में नियमितता**

- 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 1,63,754 रुपए के सेवाकर और एन.डी.एम.सी कर का संदाय बकाया था।

ह./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी